न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2016

अपीलार्थी–	***बनाम***	उत्तरदाता–
खेता पुत्र भेरा जाति कुम्हार निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		तहसीलदार चौहटन

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2015 जो प्रकरण सं. 145/2015 मे तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पदमसिंह पड़िहार, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.10.2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 145/2015 सरकार बनाम खेता मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का चौहटन द्वारा तहसीलदार चौहटन के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चौहटन के खसरा नम्बर 1136/642 किस्म गैर मुमकीन गोचर सरकारी भूमि मे से 00–12 [illegible] खेता द्वारा झोंपा व पक्का ओरा बनाकर कर अतिक्रमण [illegible] के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की [illegible] द्वारा प्रस्तुत रिपो[illegible] तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा जांच एवं सुनवाई उपरांत अपीलांट को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 30.11.2015 के द्वारा 4/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदख़ल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 12.01.2016 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील पर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 03.06.2016 के द्वारा अपील सारहीन एवं आधारहीन मानते हुए खारिज कर दी गई । अपीलांट द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को सुनवाई पश्चात निर्णय दिनांक 28.02.2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलांट की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद एवं स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः मेरीट के आधार पर निर्णय हेतु मामला रिमाण्ड किया गया। इस पर यह अपील पुनः नम्बर पर कायम की जाकर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को [illegible] पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपलांट का इस साल कोई नया कब्जा नहीं किया है और न कोई खसरा नम्बर 1136 / 642 में कोई अतिक्रमण है अपितु अपीलांट का जो मकान बना हुआ हैं वह भूमि अपीलांट की पीढियों के समय 11 हळ साठीकड़ खातेदारी की आई हुई हैं, जिसे वक्त बन्दोबस्त अपीलांट के पिता द्वारा अमीनों के साथ रहकर पैमाईश करवा दी थी किन्तु बन्दोबस्त अधिकारियों की गलती से खसरा नम्बर 642 जिसका बड़ा रकबा है के साथ दर्ज कर दिया। उक्त बड़ा खसरा कालान्तर में गोचर के रूप में जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया। अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलांट के निवेदन पर उक्त भूमि नियमन कर दिये जाने के आश्वासन दिये गये तथा मौके से भौतिक रूप से कभी बेदखल नहीं किया गया। मौजा चौहटन के खसरा नम्बर 642 व आस–पास के खसरों की वक्त बन्दोबस्त सही पैमाईश नहीं हुई थी तथा न ही बाद में सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित निर्णयों एवं नियमन आदेशों के अनुसरण में तरमीम का सही अंकन किया गया हैं। इस कारण सभी खातेदारों व खुली भूमि का विवाद बना हुआ हैं। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वस्तुस्थिति रखे जाने के बावजूद भी अपीलांट को मौके से बेदखल करने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया तब अपीलांट ने सक्षम सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किया एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 भी प्रस्तुत कर विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अनुतोष चाहा गया। इस पर स्थगन आवेदन सं. 126 / 2016 दर्ज होकर अपीलांट के कब्जे के 11 हळ साठीकड़ जो खसरा नम्बर 642 में के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक ...04.2... पारित किया गया। इस प्रकार सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित ... कार्यवाही में पारित स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते हुए धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की सरसरी कार्यवाही में किसी प्रकार का बेदखली आदेश प्रभावी नहीं रह सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं, लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम चौहटन के खसरा नम्बर 1136/642 में रकबा 00—12 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर स्वंय कब्जा कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है तथा इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को वक्त बन्दोबस्त से पूर्व पीढियों का होना बताया हैं तथा बन्दोबस्त अधिकारियों की भूलवश उक्त भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं होना बताया है। यद्यपि अपीलांट का उक्त भूमि में 00—12 बीघा पर ही कब्जा व अतिक्रमण होने से उसके विरूद्ध बेदखली की अपीलाधीन कार्यवाही सम्पन्न की गई हैं किन्तु अपीलांट द्वारा विवादित खसरा नम्बर 642 में 11 हळ साठीकड़ भूमि पर अपना आधिपत्य एवं हक स्वामित्व होना मानते हुए खातेदारी घोषणा बाबत राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के संलग्न स्थगन आदेश में न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अंतरीम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। इस प्रकार विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व अधिकारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की घोषणा हेतु अपीलांट द्वारा नियमित वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं जो अभी विचाराधीन होना बताया हैं जहां साक्ष्यों का परीक्षण एवं सबूतों को अभिलेख पर प्रदर्शित कराया जाकर सम्यक विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत की उचित निष्कर्ष दिया जा सकेगा। ऐसे में धारा 91 की सरसरी जांच कार्यवाहियों में पारित आदेश को बहाल रखा जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 145/2015 में पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के न्यायालय में विचाराधीन वाद के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण का समुचित रूप से निस्तारण करें। साथ ही उक्त राजस्व वाद में राज्य पक्ष की ओर से ठोस एवं प्रभावी पैरवी करते हुए राज्यहित को संरक्षित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:28 IST
Reason: SelfAttested